भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1198

(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आवास सखी मोबाइल ऐप

1198. श्री अरुण भारती:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत आवास सखी मोबाइल ऐप को क्रियान्वित करने तथा ग्रामीण नागरिकों के लिएआवास लाभ को सुचारू बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कच्चे मकानों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के आवाससूची में शामिल करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) ग्रामीण महिलाओं की आय के स्तर को बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से "लखपति दीदी" पहल के लिए 100 करोड़ रुपये का किस हद तक आवंटन किया गया है; और

(घ) बिहार में कौशल, संपर्कता और ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए नव - उद्घाटित सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों (सीएमटीसी) और ग्राम सड़क सर्वेक्षण एवं योजना उपकरण से क्या लाभ होने की उम्मीद है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल , 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान करके 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है।

आवास सखी (ज्ञान , सहायता और नवाचार के लिए सहायता एप्लीकेशन) एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आवश्यक जानकारी और संसाधनों को एक स्थान पर लाकर पीएमएवाई-जी तक पहुँच बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। एप्लीकेशन के माध्यम से , लाभार्थी योजना के बारे में जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं , अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और योजना के लिए अपनी पात्रता निर्धारित कर सकते हैं , जिससे उनमें जानकारी के साथ निर्णय लेने की चेतना विकसित होगी। इसके अलावा , आवास सखी आवास के डिजाइन के प्रकार, स्थानीय रूप से उपलब्ध बीआईएस प्रमाणित सामग्री और प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री उपलब्ध कराकर आवास निर्माण प्रक्रिया में लाभार्थियों और उनके समुदाय की सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। आवास सखी का उद्देश्य , अपने नाम के अनुरूप , मदद प्रदान करना, ज्ञान तक पहुँच को सक्षम बनाना और पीएमएवाई-जी में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह एप्लीकेशन लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और उपकरण आसानी से उपलब्ध कराता है ताकि वे योजना का पूरा लाभ उठा सकें और एक सुरक्षित और अनुकूलित आवास के मालिक होने के अपने सपने को पूरा कर सकें।

(ख): यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों को लक्षित की जाए जो वास्तव में वंचित हैं , और यह कि चयन वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य है , पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान शुरू में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में दिए गए आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके की गई थी। इसके बाद , सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक आवास+ सर्वेक्षण किया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिन्होंने दावा किया था कि वे 2011 एसईसीसी के तहत छूट गए हैं और इस प्रकार संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई। आज की तारीख के अनुसार, एसईसीसी सूची संतृप्त हो चुकी है और आवास+ 2018 सूची में लगभग 1.08 करोड़ पात्र लाभार्थी बचे हुए हैं।

2 करोड़ आवासों के अतिरिक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , आवास+ सर्वेक्षण 2024 ऐप का लक्ष्य आवास सहायता के लिए अतिरिक्त वंचित परिवारों की पहचान और समावेशन को सरल बनाना है। नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए इसके उपयोग में सरलता और पारदर्शिता, सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा , बेहतर पारदर्शिता की ओर बढ़ने के लिए एक नए कार्यकलाप के रूप में , आवास+सर्वेक्षण 2024 के संचालन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वेक्षक मैपिंग की गई है।

जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. स्व-सर्वेक्षण – इससे नागरिक आधार-आधारित ईकेवाईसी और स्व-सर्वेक्षण पूरा कर सकते हैं। प्रति मोबाइल फोन केवल एक स्व-सर्वेक्षण किया जा सकता है।

2. **पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण** - सर्वेक्षण पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा किए जा सकते हैं , जो उन लोगों की सहायता करेगी जिन्हें मदद की आवश्यकता होगी।
इन सर्वेक्षणकर्ताओं की पहचान की जाती है और उन्हें ब्लॉक विकास कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत में मैप किया जाता है।
3. **आवास टाइपोलॉजी चयन**- इसमें सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक आवास के लिए उपयुक्त आवास डिजाइन टाइपोलॉजी के चयन की सुविधा है।
4. **चेहरा प्रमाणीकरण और आधार आधारित ईकेवाईसी** - आधार और चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित पहचान सर्वेक्षणकर्ताओं और सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक आवास के लिए अनिवार्य है।
5.**परिवार, परिवार के सदस्यों और मौजूदा आवास की स्थिति का डेटा कैप्चर** - यह ऐप आवास, परिवार के सदस्यों और मौजूदा आवास की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है , जिससे पूर्व निर्धारित समावेशन और बहिष्करण मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का चयन और प्राथमिकता सुनिश्चित होती है।
6. **मौजूदा आवास और निर्माण की प्रस्तावित निर्माण स्थल की समय अंकित और जियो-टैग्ड फोटो खींचना**-सर्वेक्षण के दौरान मौजूदा आवास और प्रस्तावित निर्माण स्थल की समय अंकित और जियो-टैग्ड तस्वीरें खींचता है , जिसे पुनः प्रामाणिकता और जीवंतता के लिए एआई/एमएल आधारित मॉडल के साथ क्रॉस चेक किया जाता है।
7. **ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करता है** – इसकी यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि ऐप खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी निर्बाध रूप से काम करे , जिससे यह दूरदराज के क्षेत्रों में भी सुलभ हो सके।

आवास+ सर्वेक्षण 2024 के मुख्य उद्देश्य:

1. आवास वंचन की पहचान: कच्चे या जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले उन परिवारों की सटीक पहचान करना जिन्हें पक्के आवास की आवश्यकता है।

2. छूटे हुए लाभार्थियों को शामिल करना : यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र ग्रामीण परिवार जिन्हें पहले 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) से बाहर रखा गया था और उन्हें आवास+ सर्वेक्षण 2018 के तहत शामिल नहीं किया जा सका था , उन्हें अब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित बहिर्वेशन मानदंड के आधार पर लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है।

3. पारदर्शिता और उचित आवंटन: क्षेत्र की वास्तविकताओं के आधार पर सर्वेक्षण करके और प्रत्येक ग्राम पंचायत में समर्पित सर्वेक्षकों के माध्यम से आवास लाभार्थियों की पहचान करने में त्रुटियों, बहिष्करण या पक्षपात को कम करना।

4. सभी के लिए आवास: " 2024 तक सभी के लिए आवास" के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित करना और यह सुनिश्चित करना किसी भी ग्रामीण परिवारों के पास एक सुरक्षित और टिकाऊ आवास हो।

(ग): "लखपति दीदी" पहल दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) का ही परिणाम है। मंत्रालय ने एसएचजी सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया है ताकि उन्हें लखपति दीदी बनाया जा सके , और उन्हें प्रति वर्ष एक लाख रुपये की न्यूनतम आय मिल सके।

इस पहल के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित नहीं की गई है। तथापि एसएचजी सदस्यों को लखपति दीदी बनने की सुविधा प्रदान करने के लिए , संभावित लखपति दीदी की पहचान की गई है। उन्हें आजीविका व्यवसाय योजनाएं तैयार करने और परिसंपत्तियों , कौशल, वित्त, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि के लिए लिंकेज स्थापित करने में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत संवर्धित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) द्वारा सहायता दी जा रही है।

उनकी आजीविका में वृद्धि के लिए परिक्रामी निधि (आरएफ) , सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) का बैंक लिंकेज करने और अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण करके पूंजीकरण सहायता सुनिश्चित की गई है।

(घ): डीएवाई एनआरएलएम एसएचजी सदस्यों और एसआरएलएम अधिकारियों की निरंतर क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। समय पर और प्रासंगिक प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने के लिए संसाधनों को लगाया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मॉडल सीएलएफ द्वारा प्रबंधित सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों (सीएमटीसी) की स्थापना इस संबंध में एक प्रयास है। सीएमटीसी प्रशिक्षण और निष्पादन के लिए समर्पित और निर्बाध माहौल के लिए सुरक्षित, सुलभ और आवास के पास, आवासीय और बुनियादी कार्यालय बुनियादी ढांचा सुविधा प्रदान करते हैं। सीएमटीसी प्रशिक्षण और जानकारी की प्रभावशीलता में सुधार की सुविधा प्रदान करते हैं।

देश में सड़कों से न जुड़ी 25,000 पात्र बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) शुरू की गई है।

एक व्यवस्थित , उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से पीएमजीएसवाई- IV के सर्वेक्षण और योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में पीएमजीएसवाई - IV के लिए सड़क संपर्क रहित बसावटों के डिजिटल मानचित्रण के लिए पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप नामक एक मोबाइल ऐप शुरु किया है।

पीएमजीएसवाई-IV सड़क संरेखण आयोजना पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के लिए एक व्यापक डेटाबेस के साथ पीएम गति शक्ति पोर्टल भी उपलब्ध है और इससे प्रारंभिक डीपीआर विकसित करने की सुविधा भी मिलेगी। इन प्लेटफार्मों और ऐप्स का उपयोग डीआरआरपी के संशोधन , संरेखण को अंतिम रूप देने और प्रारंभिक डीपीआर तैयार करने के लिए किया जाएगा। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर आयोजना उपकरण से भी डीपीआर तैयार करने में सहायता मिलेगी। ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप ग्रामीण ब सावटों के व्यापक और सटीक मानचित्रण और सत्यापन की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई उन्नत सुविधाओं की एक श्रृंखला से युक्त है।

******